


NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 122/NCRES/19

Date : 30.04.2019

श्रीमान महाप्रबन्धक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय:- रनिंग स्टाफ को 7th CPC के अनुसार मिल रहे वेतन पर लीव सैलरी/1%
AMA का भुगतान करना।

संदर्भ :- NCRES पी.एन.एम. आइटम नं. 19/5/2018


महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 23/24 जनवरी 2019 के PNM बैठक में मद संख्या 19/2018 पर निर्णय हुआ था कि रेलवे बोर्ड से दिनांक 28.12.2018 को जारी RBE No. 204/2018 के अनुसार भुगतान करने के लिये आदेश जारी कर दिया जायेगा।

दिनांक 23/24 जनवरी 2019 को सम्पन्न PNM बैठक के मिनट्स दिनांक 08.02.2019 को जारी हुये जिसमें मद संख्या 19/2018 के वर्तमान टिप्पणी में निम्न दर्ज है।

“रेलवे बोर्ड द्वारा इस हेतु आरबीई 204/2018 जारी किया गया है। मण्डलों को उक्त पत्र के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जायेंगे एवं प्रति एनसीआरईएस को दी जायेगी।”

खेद के साथ अवगत कराना है कि पी.एन.एम. बैठक में हुये निर्णय का आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ, अतः अनुरोध है कि RBE No. 204/2018 के अनुसार रनिंग स्टाफ को लीव सैलरी/1% AMA का भुगतान करने के लिये उचित आदेश करने का कष्ट करें।


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री